

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक— 1252/11-सी- FP/UP/Approach /46748/2020 लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 14, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:-

जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झींझक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 01 (चैनेज 0.445-0.481 के मध्य) बांयी पटरी पर गाटा संख्या-179 ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रस्तावित 0.2468 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Approach /46748/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात की संस्तुति सहित परिवेश पोर्टल-1.0 में ऑनलाईन प्रेषित किया गया। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाईन प्रस्ताव इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है, कि विषयांकित प्रयोजन हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के धारा-2 के अन्तर्गत आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोग्राफिक अपलोड है।
2. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र अपलोड है।
3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड है।
4. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड लैण्डशड्यूल अपलोड है।
5. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश अपलोड है।
6. मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता अपलोड है।
7. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) जमा किये जाने की वचनबद्धता अपलोड है।
8. प्रस्तावित वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map अपलोड है।
9. प्रभावित संरक्षित वनभूमि के अन्तर्गत 494 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन अपलोड है।
10. क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफिक एवं Geo Referenced Digital Map अपलोड है।
11. गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति अपलोड है।
12. प्रस्ताव में 10 किमी० परिधि से बाहर होने के सम्बन्ध में वन्यजीव प्रमाण पत्र अपलोड है।
13. वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड है।
14. भू-स्वामित्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड है।
15. भू-स्वावित्त्व विभाग का ले-आउट प्लान अपलोड है।
16. प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाईल।

संलग्नक-संस्तुति पत्र।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1252/11-सी- FP/UP/Approach /46748/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात।
- 3- श्री हेमन्त कुमार मुख्य प्रबन्धक (खुदरा विक्रय), इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी कानपुर-208020

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Approach /46748/2020

➤	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें ।	CCF का न्युट्रल रैंक CCF, का न्युट्रल रैंक की सस्तुति
➤	(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाएं और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाएं।	के आधार पर स्वीकृता मंस्तुति की जाती है ।

हस्ताक्षर :-

18

नाम :-

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forests/Nodal Officer
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow

सरकारी मुहर :-

तिथि :- 16/11/23

दिनांक :-